राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन सं. : 15/परीक्षा 'ख'/उ.नि.पु./भू.पू.सै./2008–09/3456 दिनांक : 2.3.2009

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अधोलिखित विभिन्न पदों हेतु **केवल भूतपूर्व सैनिकों** से आयोग द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित :–

1. सेवा एव पदों का विवरण :–

क्रम सं.	सेवा	कुल पद	सामान्य पद		राजस्थान के					
					अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.जा.	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1.	उप निरीक्षक (आर्म्ड पुलिस)	21	9	3	3	–	2	–	3	1
2.	प्लाटून कमाण्डर (आर.ए.सी.)	12	6	2	1	–	1	–	2	–
	कुल पद	33	15	5	4	–	3	–	5	1

नोट :–

(1) विज्ञापित रिक्त पदों की सख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकती है, जिसके लिए अलग से कोई विज्ञापन जारी नही किया जायेगा।

(2) जो अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग में गिना जायेगा।

(3) आवेदक विज्ञापित दोनो सेवाओं के लिए एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे एवं आवेदन पत्र की कॉलम संख्या 16 में सेवाओं की प्राथमिकता का क्रमवार स्पष्ट उल्लेख करे।

(4) राज्य सरकार के नियमानुसार महिला वर्ग का आरक्षण 30% दण्डवत (Horizontal) रूप से उपरोक्त आरक्षित पदों में सम्मिलित है।

(5) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के नियम 2 के परन्तुक में आरक्षित रिक्ति जिसे इस प्रकार आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जायेगी तदुपरान्त प्रश्नास्पद रिक्ति अनारक्षित मानी जायेगी।

2. **आवेदन प्राप्ति की अन्तिम दिनांक** : आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने की अन्तिम दिनांक 8.4.2009 को सांय 6.00 बजे तक (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा) पहुंच जाना चाहिए इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. **परीक्षा शुल्क** :– इन पदों हेतु परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

4. **शैक्षणिक योग्यता** :–

(1) भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक उपाधि

परन्तु ऐसे आवेदक जो नियमानुसार चाही गई शैक्षिक अर्हता के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए है या सम्मिलित होने वाले है, इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण देना होगा।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे, एवं स्नातक उपाधि परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

5. **शारीरिक योग्यता** :– सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो सम्भवतः उसके सेवा के सदस्य के रूप मे अपने कर्त्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाये तो सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. **चरित्र :–** प्रतिरक्षा (थल सेना, जल सेना, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय अभ्यर्थी का चरित्र ''अच्छा'' से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि उसकी सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया हो।

7. **परिभाषाएं :–** (क) भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत संघ की नियमित थल सेना, जल सेना, वायु सेना के किसी भी रेंक में, योद्धक या योद्धक–भिन्न के रूप में सेवा की हो और –

   (i) जो ऐसी सेवा से पेंशन उपार्जित करके सेवा निवृत हुआ हो, या
   (ii) जो ऐसी सेवा से चिकित्सीय आधारो पर, जो ऐसी सेवा के लिए निर्धारित हों या उन परिस्थितियों के कारण, जो उसके नियंत्रण से परे हो, सेवा से निर्मुक्त किया गया हो और जिसे चिकित्सीय या अन्य नियोग्यता पेन्शन प्रदान की गयी हो, या
   (iii) जो, अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा संस्थापन में कटौती के परिणामस्वरूप उक्त सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या
   (iv) जो अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा नियुक्ति की विनिर्दिष्ट कालावधि पूर्ण करने के पश्चात या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति भी सेवोन्मुक्ति के कारण उक्त सेवा से निर्मुक्त हुआ हो और जिसे सेवानिवृति उपदान दिये गये हों, और इसमें प्रादेशिक थल सेना के निम्नलिखित प्रवर्गो के कार्मिक भी सम्मिलित हैं, अर्थात् –
      (i) लगातार इम्बाडिड (Embodied) सेवा के पेन्शनधारक
      (ii) सैन्य सेवा के लिए निर्धारित नियोग्यता वाले व्यक्ति,
      (iii) वीरता पुरस्कार विजेता

8. **आयु :–** आवेदक 1 जनवरी, 2010 को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक को उच्च आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट होगी।

9. **वेतन तथा पेन्शन :–** राज्य सरकार के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

10. **चयन प्रक्रिया :–** आयोग विज्ञापित रिक्तियों के प्रति प्राप्त आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा और नियुक्ति के लिये पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची बनायेगा तत्पश्चात आयोग द्वारा चयन बोर्ड गठित किया जायेगा।

    चयन बोर्ड उन अभ्यर्थियों की अधिमानता क्रम की सूची बनायेगा जिन्हें वह विज्ञापित रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझता है। सूची में नामों की सख्या, उक्त रिक्तियों की संख्या से 50 प्रतिशत अधिक होगी। अभ्यर्थियों का चयन करते समय चयन बोर्ड उनकी शैक्षिक और तकनीकी अर्हताओं, उनके द्वारा पूर्व में धारित पद की प्रकृति और उनके पूर्व अनुभव के बारे में विचार कर सकेगा। यदि आवश्यक हो तो चयन बोर्ड टेस्ट/परीक्षा भी ले सकेगा और/या किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को साक्षात्कार के लिये बुलवा सकेगा।

11. **आवेदन कैसे करें :–** आवेदक कार्यालय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, अजमेर/जयपुर से नकद रूपये 50/– देकर आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वयं की लेखनी से साफ–साफ भरकर आयोग को प्रस्तुत करें।

12. **नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–**
    1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
    2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
    3. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
       स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु ''दहेज'' से यही तात्पर्य होगा जो प्रतिषेध एक्ट, 1961 मे है (सैन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961)

4. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसक पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :
   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
5. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

सचिव